

#### अनुबंध-4

#### पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

देखिये बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 एवं संशोधन नियमावली-2011  
(विधान मंडल के पूर्व सदस्य/सदस्या द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिये )

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पूर्व सदस्य/सदस्या, बिहार विधान सभा ।

(यहां यह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य थे)

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

बिहार विधान सभा ।

विषय:- बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8 के तहत बने बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 एवं संशोधन नियमावली-2011 के अन्तर्गत पेंशन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित अवधि में .....

विधान सभा का सदस्य/सदस्या रहने के कारण वे पेंशन पाने का हक है :-

- (i) विधान सभा की सदस्यता अवधि ..... से ..... तक
- (ii) विधान परिषद् की सदस्यता अवधि ..... से ..... तक
2. अनुरोध है कि मुझे पेंशन स्वीकृति करने के बारे में कार्रवाई की जाय । ?  
मैं अपना पेंशन ..... कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूँ ।
3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ :-
- (i) तीन नमूना हस्ताक्षर
- (ii) पासपोर्ट साईंज का तीन नवीनतम फोटो
4. मेरा वर्तमान पता-  
.....  
मेरा स्थायी पता-  
.....
5. जन्म तिथि -
6. पहचान का चिन्ह -
7. कैंचाई -
8. एतद द्वारा घोषणा करता/करता हूँ कि मैं :-
- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ ।
- (ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य का विधान परिषद् का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ ।

(2)

(iii) मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ अथवा मुझे ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का कोई हक नहीं है ।

(iv) मैं दिनांक- ..... से ..... के  
पद पर कार्य कर रहा/रही हूँ अथवा ..... का सदस्य/सदस्या हूँ  
अथवा ..... मैं नियुक्त हूँ और मुझे .....  
रूपया प्रतिमाह कुल पारिश्रमिक मिलता है ।

(सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये)

पति/पत्नी का नाम-

भवदीय,

सदस्य का हस्ताक्षर ।

नाम (साफ-साफ अक्षरों में) -

पता-  
.....  
.....  
.....

क्षेत्र संख्या-

क्षेत्र का नाम-

क्षेत्र का जिला-

मृत भूतपूर्व सदस्य/सदस्यों के पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र ।

(देखिये बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8

(मृत भूतपूर्व विधान मंडल के सदस्य/सदस्या के पारिवारिक पेंशन की राशि की स्वीकृति हेतु उनके पति/पत्नी द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिये )

(यहाँ वह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य थे)

सेवा में,

सचिव,

बिहार विधान सभा / परिषद् सचिवालय

विषय:- बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8 के तहत बने बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत मेरे पति/पत्नी निम्नलिखित अवधि में विधान सभा/परिषद् के सदस्य/सदस्या रहने के कारण वे पेंशन पाने के हकदार हैं :-

- (i) विधान सभा की सदस्यता अवधि ..... से ..... तक
- (ii) विधान परिषद् की सदस्यता अवधि ..... से ..... तक
- (iii) सदस्य/सदस्या की मृत्यु दिनांक ..... को हो गयी । मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा ।

2. अनुरोध है कि मेरा पति/पत्नी के बकाये पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति करने के बारे में कार्रवाई की जाय । मैं उनका बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन ..... कोषागार/उप कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूँ ।

3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ :-

- (i) तीन नमुना हस्ताक्षर
- (ii) पासपोर्ट साईंज का तीन नवीनतम फोटो
- (iii) वैधिक उत्तराधिकारी होने का जिलाधिकारी का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र ।
- (iv) आवेदनकर्ता का वर्तमान पता

आवेदन का स्थायी पता-

4. एतद द्वारा घोषणा करता/करता हूँ कि मैं :-

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ ।
- (ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य का विधान परिषद् का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ ।

(iii) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हैं अथवा उनकी ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्य किसी प्रकार से कोई हक नहीं है।

(iv) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन अथवा उनके द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय प्राधिकरण निगम से कोई राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेंशन प्राप्त कर रहा है/नहीं कर रहा है।

(जो घोषणा लागू न हो उन्हें स्थाही से काट दिया जाय)

(v) मैं दिनांक- से तक के पद पर कार्यरत  
था अथवा का सदस्य/सदस्या था अथवा के पद  
नियुक्त थे। मुझे प्रतिमाह कुल पेंशन/पारिश्रमिक मिलता है।

(सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये)

(राशि विवरण कार्यालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

भवदीय,

मृत भूतपूर्व विधायक/विधायिका के  
उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर।

नाम साफ-साफ अक्षरों में

स्थान-

दिनांक-

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,  
विहार विधान सभा, पटना ।

विषय:- भूतपूर्व सदस्यों के पूर्व से प्राप्त हो रहे विधायक पेंशन में संशोधन ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं.....

जिला के ..... निर्वाचन क्षेत्र (संख्या- ) से

सन् ..... तक बिहार विधान सभा

का सदस्य रह चुका हूँ । मुझे पी०पी०ओ० नं-

द्वारा ..... कोषागार से अंके- .....

..... रूपया मात्र प्रतिमाह विधायक पेंशन प्राप्त हो रहा है ।

मैं ..... (बैंक एवं शाखा का नाम) के .....

..... के खाता सं०- ..... में उक्त राशि प्राप्त  
कर रही/रहा हूँ ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी  
बोर्ड या निगम से कोई वेतन, भत्ता या पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है/नहीं हो रहा है ।

अतः अनुरोध है कि बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम,  
2006 के तहत अधिसूचित बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली-2006  
एवं संशोधन नियमावली, 2011 के अनुसार मेरे पूर्व से प्राप्त हो रहे विधायक पेंशन को संशोधित करने  
की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर-

नाम-

पता-

पति/पत्नी का नाम-

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,  
बिहार विधान सभा, पटना।

विषय:- भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी की पूर्व से प्राप्त हो रहे पारिवारिक पेंशन में संशोधन।

महाशय,

निवेदन है कि मेरे पति/पत्नी स्व.

जिला के ..... निर्वाचन क्षेत्र संख्या- ..... से  
सन् ..... तक बिहार विधान सभा  
के सदस्य थे। मुझे पी०पी०ओ० नं- ..... द्वारा .....  
कोषगार से अंके-

रूपया मात्र प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रहा है। मैं .....  
(बैंक एवं शाखा का नाम) के खाता सं- .....  
में उक्त राशि प्राप्त कर रही/रहा हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी  
बोर्ड या निगम से कोई वेतन, भत्ता या पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है/नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम,  
2006 के तहत अधिसूचित बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली-2006  
एवं संशोधन नियमावली, 2011 के अनुसार मेरे पूर्व से प्राप्त हो रहे पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने  
की कृपा करें।

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर-

नाम-

पता-

पति/पत्नी का नाम-

## घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र भूतपूर्व विधान मंडल सदस्य / सदस्या द्वारा अपने पेशन विषय के साथ  
वर्ष में ये बार भई एवं नवम्बर माह में कोवागार में देना होगा। पेशन स्वीकृत के समय  
इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भी जमा करना होगा।)

मैं श्री/श्रीमती ..... घोषणा  
करता / करती हूँ कि :-

1. मैं राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना गया / गयी और न ही किसी राज्य के राज्यपाल / प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया / गयी हैं। पूर्व में इन पदों पर नहीं था / थी।
2. मैं राज्य सभा / लोक सभा अथवा किसी अन्य राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं हूँ। पूर्व में भी इन पदों पर नहीं था / थी।
3. मुझे किसी भी अन्य श्रोत से वेतन/पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है और न ही मैं अन्य श्रोत से वेतन/पारिश्रमिक पाने का हकदार हूँ।
4. मैं किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ / कार्यरत नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
5. मुझे ..... (संस्थान का नाम) से वेतन अंके- ..... मिल रहा है।
6. मुझे ..... (संस्थान का नाम) से अभी वेतन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके- ..... रूपया देय है।
7. मैंने मोटर कार अग्रिम नहीं लिया है। अतः इस मद में कुछ भी बकाया नहीं है।
8. मैंने अभी मोटर कार अग्रिम अंके- ..... लिया था शेष अंके- ..... बकाया है, जिसका समावृज्जन कर लिया जाय।
9. इस पेशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन / पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद / किसी विधान मंडल का सदस्य निवाचित/मनोनीत होने पर बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेशन नियमावली के तहत प्राप्त होने वाले पेशन को लेना बन्द कर दूँगा / दूँगी।

पेशनधारी का नाम-

हस्ताक्षर-

पता-

क्षेत्र संख्या-

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।

## स्त्रीजनसाम्राज्य

विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाय ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
साफ-साफ अवहों में निम्नलिखित अधिकारी में बिहार विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य/सदस्या रहे/रही हैं :-  
से ..... तक क्षेत्र सं० .....

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
को दिनांक ..... से ..... प्रतिमाह .....  
विधायक पेंशन और निधन के पश्चात् इनकी पत्नी  
श्रीमती ..... को दिनांक ..... से  
अंके ..... को दिनांक .....  
से अंके ..... पारिवारिक पेंशन मंजूर की जाती है ।

इनके बहाँ -

1. घोटकार अधिकार के मद में अंके- ..... रूपया तथा  
मूल राशि अंके- ..... प्रतिशत सूद
2. दूरभाव मद में अंके- .....  
3. अन्य मद में - ..... रूपया  
बताया है जिसका पूर्ण समायोजन इनके पेंशन से किया जाएगा । पूर्ण समायोजन के उपरान्त ही नगद  
पेंशन दिया जायेगा ।

हस्ताक्षर

अकर सचिव (लेखा),  
बिहार विधान सभा ।